इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

294807 - गर्भपात की गोलियों के कारण होनेवाले रक्तस्राव का हुक्म

प्रश्न

मैंने सर्जरी करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को खोलने के लिए गर्भपात की गोलियाँ लीं, लेकिन मैं गर्भवती नहीं थी। यह केवल शल्य प्रक्रिया के लिए था। शुरुआत में मुझे बिंदुओं के रूप में रक्तस्राव हुआ और फिर उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई। ऐसी स्थिति में, ऑपरेशन के समय तक मुझे अपनी नमाज़ के प्रति क्या करना चाहिए? यदि सर्जरी के बाद रक्तस्राव होता है, तो क्या मैं नमाज़ पढ़ूँ या नहीं?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

यह सर्वज्ञात है कि इस तरह की गोलियाँ लेने से महिला के मासिक धर्म में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके कारण मासिक धर्म उसके सामान्य समय से पहले आ सकता है, या उसके दिनों की संख्या बढ़ सकती है।

विद्वानों के एक समूह ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि महिला को इन गोलियों के कारण निकलने वाले रक्त को देखना चाहिए:

यदि उसमें मासिक धर्म के रक्त की विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे कि वह गहरा लाल, गाढ़ा और एक विशिष्ट गंध वाला है : तो वह मासिक धर्म का रक्त है, जो नमाज़, रोज़ा और संभोग से रोक देता है।

लेकिन अगर वह हल्का लाल है और उसमें गंध नहीं है: तो वह सामान्य रक्तस्राव हो रहा है, जिसपर इसितहाज़ा [गैर-मासिक धर्म रक्तस्राव] का नियम लागू होगा। इस स्थिति में, महिला स्वयं से रक्त को धोएगी, वुज़ू करेगी और नमाज़ पढ़ेगी, तथा रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए (सैनिटरी पैड आदि द्वारा) संरक्षण करेगी।

तथा जिस तरह से गोलियों आदि के द्वारा मासिक धर्म के बंद होने से महिला को पाक (शुद्ध) समझा जाता है, उसी तरह गोलियों के कारण मासिक धर्म का रक्तस्राव होने पर महिला को मासिक धर्म की स्थिति में समझा जाएगा।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह से एक स्तनपान कराने वाली महिला के बारे में पूछा गया, जिसका मासिक धर्म आने में देर हो गई, तो उसने मासिक धर्म आने के लिए दवा ली। चुनाँचे उसे तीन मासिक धर्म आया, और वह तलाकशुदा थी। तो क्या उसकी इद्दत (अविधि) समाप्त हो गई या नहीं?

तो उन्होंने उत्तर दिया : हाँ, यदि उसका ज्ञात (नियमित) मासिक धर्म आ गया है : तो वह उसका एतिबार करेगी। जिस तरह कि अगर वह अपने मासिक धर्म को रोकने के लिए, या दो अविधयों के बीच समय बढ़ाने के लिए दवा लेती है : तो उसे शुद्धता समझा जाएगा। तथा जिस तरह कि अगर वह भूखी या थकी हुई थी या कुछ और कारण हुआ जिसने उसके स्वभाव को गर्म कर दिया और खून को उत्तेजित कर दिया, जिसके कारणवश उसे मासिक धर्म आ गया।"

"मजमूउल-फतावा" (४/२३, २४) से उद्धरण समाप्त हुआ।

इफ्ता की स्थायी सिमिति के विद्वानों से पूछा गया : वर्तमान समय में, महिलाएं गर्भनिरोधक के कृत्रिम तरीकों का उपयोग करती हैं, जैसे कि गोलियाँ और आईयूडी (IUD)। और कोई भी डॉक्टर आईयूडी डालने या गोलियों देने से पहले, महिला को दो गोलियाँ देता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला गर्भवती नहीं है। इस स्थिति में उसे रक्त आना चाहिए यदि वह गर्भवती नहीं है।

प्रश्न यह है कि : यह रक्तस्राव जो उसे कुछ दिनों के दौरान होता है, क्या यह नमाज़, रोज़ा और संभोग छोड़ने के संबंध में मासिक धर्म के रक्तस्राव के नियम के तहत आएगा? ज्ञात रहे कि इस रक्तस्राव की अवधि उसके सामान्य मासिक धर्म का समय नहीं है।

इसी तरह, कुछ महिलाओं में आईयूडी रखने या गोलियों का उपयोग करने के बाद, मासिक धर्म चक्र की प्रणाली बदल जाती है, चुनाँचे वह गर्भनिरोधक के उपयोग के बाद अचानक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उनमें से कुछ महिलाएँ महीने के दौरान एक सप्ताह से अधिक समय तक शुद्ध नहीं रहती हैं और लगातार तीन सप्ताह के दौरान उन्हें रक्तस्राव होता रहता है। तथा यह आने वाला रक्त वही रक्त होता है जो मासिक धर्म के दौरान आता है। इसी तरह यह रक्तस्राव उसी रक्त के समान होता है जो गर्भवती न होने को सुनिश्चित करने के लिए दो गोलियाँ लेते समय जारी होता है, जैसा कि पिछले प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

प्रश्न यह है कि : इस तीन सप्ताह की अविध के दौरान महिला पर क्या नियम लागू होगा ? क्या उसपर मासिक धर्म का नियम लागू होगा ? या कि वह गर्भनिरोधक को लेने से पहले की अपनी एक सप्ताह या दस दिन की आदत की पाबंदी इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

करेगी?

तो उन्होंने उत्तर दिया:

"यदि दो गोलियाँ लेने के बाद होने वाला रक्तस्राव महिला के ज्ञात मासिक धर्म के समान है, तो वह मासिक धर्म का रक्त है, जिसके दौरान वह रोज़ा और नमाज़ छोड़ देगी। लेकिन अगर वह उसके अलावा है, तो उसे मासिक धर्म का रक्त नहीं माना जाएगा जो नमाज़, रोज़ा और संभोग को रोक देता है; क्योंकि यह रक्तस्राव केवल गोलियाँ लेने के परिणामस्वरूप हुआ है।"

"फतावा अल-लजनह अद-दाईमह" (5/402) से उद्धरण समाप्त हुआ।

शैख मुहम्मद बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से उस मासिक धर्म के बारे में पूछा गया जो गोलियाँ खाने के परिणामस्वरूप होता है, तो उन्होंने कहा :

"महिला को डॉक्टर से पूछना चाहिए। यदि वह कहता है: यह मासिक धर्म है, तो यह मासिक धर्म होगा, और यदि वह कहता है: यह इन गोलियों के कारण होने वाला उत्सर्जन है, तो यह मासिक धर्म नहीं होगा।"

शैख इब्ने उसैमीन के "फतावा व दुरूस अल-हरम अल-मक्की" (2/284) से उद्धरण समाप्त हुआ।

इसी तरह सर्जरी के बाद होने वाले रक्तस्राव के बारे में भी यही नियम लागू होगा। चुनाँचे उसे भी देखा जाएगा, यदि वह मासिक धर्म का रक्तस्राव प्रतीत होता है, तो आप नमाज़ और रोज़े से रुक जाएँगी। लेकिन यदि वह मासिक धर्म का खून नहीं दिखता है, तो आप इसतिहाज़ा (गैर-मासिक धर्म के रक्तस्राव) वाली महिला के समान हो जाएँगी।

तथा ज्ञात रहना चाहिए कि एक महीने में पंद्रह दिनों से अधिर होने वाले रक्तस्राव को मासिक धर्म नहीं माना जाता है, तथा वह विद्वानों की बहुमत के अनुसार इसितहाज़ा (गैर-मासिक धर्म के रक्तस्राव) का हुक्म ले लेता है।

तथा प्रश्न संख्या : (67777) का उत्तर देखें।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।